न्यायालय :– चौदहवें जिला न्यायाधीश रीवा, जिला रीवा म.प्र.

(पीठासीन अधिकारी– संतोष कुमार तिवारी)

Case No. MCA 171/2022
CNR No. MP 1701015612-2022
Filling No. MCA 3726/2022
Filling Date- 01/10/2022

1. छोटेलाल यादव उम्र 51 वर्ष, पिता श्री रामकृपाल यादव,
2. कमलेश यादव उम्र 30 वर्ष, पिता श्री छोटेलाल यादव,
3. शेषमणि यादव उम्र 54 वर्ष, पिता श्री रामकृपाल यादव,

सभी निवासी वार्ड कमांक 10 तुलसी नगर पानी के टंकी के बगल में तहसील हुजूर, जिला रीवा मध्यप्रदेश।

————अपीलार्थीगण / प्रतिवादीगण

विरूद्ध

1. प्रेमलाल यादव उम्र 46 वर्ष पेशा मजदूरी पिता श्री रामकृपाल यादव,
2. श्यामलाल यादव उम्र 45 वर्ष पेशा मजदूरी पिता श्री रामकृपाल यादव,
3. मुन्नालाल यादव उम्र 48 वर्ष, पेशा मजदूरी पिता श्री रामकृपाल यादव,
4– बच्चूलाल यादव उम्र 47 वर्ष पेशा मजदूरी पिता श्री रामकृपाल यादव,

सभी निवासी वार्ड कमांक 10 तुलसी नगर पानी की टंकी के बगल में, तहसील हुजूर जिला रीवा मध्यप्रदेश।

—— प्रत्यर्थीगण / वादीगण

5– शासन मध्यप्रदेश जरिये जिलाध्यक्ष रीवा। **—— प्रत्यर्थी**

(न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा (समक्ष– ललित कुमार मईडा) के द्वारा व्यवहार वाद क0 RCS A 21/ 2022 प्रेमलाल यादव वगैरह विरूद्ध छोटेलाल यादव वगैरह में पारित आदेश दिनांक 01/09/2022 से उद्भूत विविध सिविल अपील)

Tiwari
(संतोष कुमार तिवारी) 23.04.24
चौदहवें जिला न्यायाधीश
रीवा (म०प्र०)

अपीलार्थीगण द्वारा श्री चन्द्रप्रताप तिवारी अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी कमांक 1 से 4 द्वारा श्री अनुराग द्विवेदी अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी कमांक 5 एकपक्षीय।

:– आदेश –:

(आज दिनांक 23.04.24 को पारित)

01. अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत यह विविध व्यवहार अपील न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा (समक्ष– ललित कुमार मईडा) एतश्मिनपश्चात् विचारण न्यायालय के नाम से संबोधित, के द्वारा व्यवहार वाद क0 RCS A 21/2022 प्रेमलाल यादव वगैरह विरूद्ध छोटेलाल यादव वगैरह में पारित आदेश दिनांक 01/09/2022 से व्यथित होकर आदेश 43 नियम 01(द) सी0पी0सी0 1908 के तहत प्रस्तुत की है। विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा अपने उक्त आलोच्य आदेश के माध्यम से वादीगण/प्रत्यर्थीगण के आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सी0पी0सी0 1908 को अपने आदेश दिनांक 01–09–2022 में वर्णित तथ्यों अनुसार स्वीकार किया गया है।

02. मामले में यह अविवादित तथ्य है कि अपीलार्थी क. 01 व 03 व प्रत्यर्थी क. 01 लगायत 04 आपस में एक ही परिवार के लोग हैं। मामले में अपीलार्थीगण की ओर से लिखित तर्क भी अपील के समर्थन में पेश किये गये हैं।

03. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थीगण/वादीगण का आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सहपठित धारा 151 सी0पी0सी0 में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार रहे हैं कि विवादग्रस्त आराजी भूमि खसरा कमांक 228/8 रकवा 0.300 आरे (3500 वर्गफिट) ग्राम बरा 394 हल्का रीवा राजस्व निरीक्षक मण्डल रीवा, तहसील हुजूर जिला रीवा मध्यप्रदेश में स्थित है, जो कि उभय पक्ष की पैत्रिक भूमि है। उक्त भूमि की भूमि स्वामी पूर्व में श्रीमती दशोदिया पत्नी रामकृपाल थी, जो आवेदक तथा अनावेदक कमांक 1 एवं 2 की पहली मां थी तथा उसकी कोई संतान नहीं थी। श्रीमती दशोदिया अपने जीवनकाल में उपरोक्त भूमि पर काबिज व भूमिस्वामी रही उनके नाम की ऋण पुस्तिका जारी रही तथा समस्त राजस्व रिकार्ड में बतौर भूमिस्वामी उनका नाम अपने जीवनकाल में अंकित रहा। उपरोक्त भूमि को श्रीमती दशोदिया द्वारा अपने

(संतोष कुमार तिवारी)
वरिष्ठ जिला न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)
23.04.24

जीवनकाल में बिक्री, बेची, वसीयत आदि कोई भी कार्यवाही नहीं की गई तत्पश्चात वर्ष 2007 में वृद्धावस्था के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उभय पक्ष ने उनके जीवनकाल में उपरोक्त भूमि को आपसी रजामंदी से 1/6, 1/6 भाग यानी 520.83 वर्गफिट भूमि बाट ली तथा बाटी गई भूमि में 3125 वर्गफिट के शेष बचे रकवे में 75X5=375 भूमि में पांच फिट का रास्ता दिया गया। श्रीमती दशोदिया के जीवनकाल में उपरोक्त भूमि का बंटवारा किया गया था। जिसमें कोई आपत्ति नहीं रही थी 2007 में श्रीमती दशोदिया की मृत्यु हो जाने के बाद भी आपसी रजामंदी से किए गए बंटवारे को राजस्व रिकार्ड में नहीं सुधरवाया गया, बल्कि आवेदक प्रेमलाल यादव तथा अनावेदक छोटेलाल व कमलेश यादव अपने–अपने हिस्से में काबिज दाखिल रहे हैं।

04. आवेदन में यह भी उल्लेखित किया गया है कि श्रीमती दशोदिया के मृत्यु के लगभग चार वर्ष बाद आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सी0पी0सी0 सहपठित धारा 151 सी0पी0सी0 के आवेदन पत्र के अनावेदक कमांक 2 द्वारा श्रीमती दशोदिया द्वारा अपने पक्ष में दिनांक 25–04–2005 को वसीयतनामा कराये जाने का उल्लेख करते हुए 1/8 हिस्सा करते हुए न्यायालय तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा के राजस्व प्रकरण 26/अ–6/2010–11 के आदेश दिनांक 30–10–2010 के अनुसार भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली जो कि वसीयतनामा 25–04–2005 फर्जी, कूटरचित व कपोलकल्पित है क्योंकि श्रीमती दशोदिया वर्ष 2007 जुलाई तक जीवित रही। अनावेदक कमांक 2 कमलेश यादव के पक्ष में कभी भी कोई वसीयतनामा श्रीमती दशोदिया द्वारा नहीं किया गया है। इस स्थिति में राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने के आधार पर प्रतिवादी क.–02 कमलेश यादव उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में भवन निर्माण कर सकता है तथा राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अंकित होने के आधार पर वादग्रस्त आराजी के जुज रकवा 500 वर्गफुट को बिक्री अथवा हस्तांतरित भी कर सकता है। उपरोक्त आधारों पर से आवेदकगण/प्रत्यर्थीगण ने विद्वान व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ट खण्ड रीवा के समक्ष प्रस्तुत अपने आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 तथा धारा 151 सी0पी0सी0 की कंडिका 1 लगायत 9 में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत अपने पक्ष में होना बताते हुये वादग्रस्त भूमि खसरा कमांक 228/8 रकवा 0.30 आरे अर्थात 3500 वर्गफिट भूमि को दौरान मुकदमा विक्री एवं स्थानांतरण पर रोक लगाये जाने व अनावेदक कमांक 2 कमलेश यादव द्वारा विवादित आराजी के जुज रकवा 500 वर्गफिट में किसी प्रकार का कोई नया निर्माण कार्य न किए

(संतोष कुमार तिवारी) 23.04.24
चौथवें जिला न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

जाने के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का अनुरोध किया गया था।

05. विचारण न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण/प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जबाव संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा पूर्णतः मिथ्या वादपत्र पेश कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण के विरूद्ध स्थगन चाहा गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में सम्पूर्ण वर्तमान स्थिति वादग्रस्त भूमि के हिस्सेदारों द्वारा काबिज भूमि व उस पर बने निर्मित भवन का व्यौरा नहीं दिया गया है। वादग्रस्त भूमि के 1/8 हिस्से में प्रतिवादी कमांक 2 अरसा पूर्व वर्ष 2005 केपूर्व से भी निरन्तर काबिज दाखिल चला आ रहा है और वह अपने भू–भाग के संबंध में विधिवत नामांतरण कराकर राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज है। प्रतिवादी कमांक 2 ने अपने भू भाग पर पुराने जर्जर घर को गिराकर नया पक्का मकान बनवाया गया। उस दौरान वादीगण/ प्रत्यर्थीगण द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई। प्रतिवादी कमांक 2 का वादग्रस्त भूमि के 1/8 हिस्से का पूर्णतः स्वामित्व व आधिपत्य प्राप्त है। प्रतिवादी कमांक 2 के द्वारा कोई भी कपट पूर्वक वसीयत रचित नहीं की है, बल्कि विधि अनुसार राजस्व न्यायालय में नामांरण की कार्यवाही वसीयत के आधार पर की जाकर वादग्रस्त भूमि में 1/8 हिस्सा प्राप्त किया है। उपरोक्तानुसार अनावेदकगण/ अपीलार्थीगण द्वारा अपने जबाव की कंडिका कमांक 01 लगायत 05 में वर्णित तथ्यों के आधार पर आवेदकगण/प्रत्यर्थीगण/वादीगण के आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सहपठित धारा 151 सी0पी0सी0 को निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

06. अपीलार्थीगण द्वारा यह विविध अपील निम्नलिखित आधारों पर पेश की गयी है–

(ए) अपीलार्थी द्वारा आदेश 39 नियम 01 व 02 का जबाव तथा उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन विचारण न्यायालय द्वारा नहीं किया गया और अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किसी भी रिकार्ड हवाला अपने आदेश में नहीं किया इस कारण से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध गलत विनिश्चय कर पारित किया गया है।

(बी) अपीलार्थी क. 01 ता 03 के द्वारा पेश महत्वपूर्ण रिकार्ड न्यायालय तहसीलदार तहसील हुजूर प्र.क.–26अ6/2010–11 आदेश दिनांक–30.10.2010 प्रस्तुत किया गया है उक्त प्रकरण में रेस्पाडेन्ट क. 01 ता 04 पक्षकार थे तथा न्यायालय में उपस्थित होकर सहमति में हस्ताक्षर कर अपीलार्थी क.–02

(संतोष कुमार तिवारी) 23.04.24
चौदहवें जिला न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

के नाम वादग्रस्त भूमि का 1/8 हिस्सा का नामांतरण आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश व अपीलार्थी क.–02 के नाम हुये वसीयतनामा की जानकारी वर्ष 2010 से है। अपीलार्थी क.–02 1/8 अंश भाग का वैध भूमिस्वामी स्वत्वधारी है। उसका नाम खसरे में वर्ष 2010 से दर्ज है फिर भी विचारण न्यायालय में अस्थायी निषेधाज्ञा पारित कर महान भूल की है।

(सी) विद्ववान विचारण न्यायालय ने रिकार्ड को देखा तक नहीं और न ही रिकार्ड का कोई हवाला दिया। विचारण न्यायालय द्वारा अनुमानतः प्रत्यर्थीगण/वादीगण का आवेदन पत्र प्रमाणित पाने एवं स्थगन आदेश पारित करने में त्रुटि की है, इसलिये आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

(डी) उपरोक्तानुसार अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपने अपील के ज्ञापन मे वर्णित आधार क. 01 लगायत 11 में वर्णित तथ्यों के आधार पर विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक–01.09.2022 को अपास्त किए जाने का निवेदन किया है।

07. प्रस्तुत विविध व्यवहार अपील के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय बिन्दु है–

1. क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 01.09.2022 विधि एवं तथ्यात्मक आधार पर त्रुटिपूर्ण होने से उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ?

सकारण निष्कर्ष

08. अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने विचारण न्यायालय ~~के न्यायालय~~ में अपने आवेदन पत्र के माध्यम से वादग्रस्त भूमि की पूर्व में स्वामी श्रीमती दशोदिया को बताते हुये उसे अपने जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि पर काबिज रहना और उसके नाम का इन्द्राज राजस्व अभिलेखों में रहने के संबंध में तथ्य प्रकट किये हैं और दशोदिया की मृत्यु वर्ष 2007 में होना दर्शाया है और आवेदन के माध्यम से इस बात को प्रकट किया है कि अनावेदक क.–02 अर्थात अपीलार्थी क.–02 ने फर्जी एवं कूटरचित वसीयत के आधार पर अपने नाम 1/8 हिस्सा न्यायालय तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा के राजस्व प्र.क. –26अ–6/2010–2011 के आदेश दिनांक–30.10.2010 के आधार पर करवा लिया, जबकि दशोदिया द्वारा कोई भी वसीयतनामा निष्पादित नहीं किया है और वसीयतनामे को फर्जी व कूटरचित होना भी बताया है।

09. आदेश 39 नियम 01 व 02 सी.पी.सी. के आवेदन पत्र के अनावेदक पक्ष द्वारा प्रत्यर्थीगण/वादीगण के द्वारा उनके आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों को

(संतोष कुमार तिवारी) 23.04.24
वरिष्ठ जिला न्यायाधीश
रीवा (म०प्र०)

गलत होना बताया है और यह भी प्रकट किया है कि प्रतिवादी क.–02/अपीलार्थी क.–02 वर्ष 2005 के पूर्व से ही वादग्रस्त भूमि पर काबिज दाखिल चला आ रहा है व उसने पुराने जर्जर घर को गिरा कर नया पक्का मकान बनवाया है। प्रतिवादी क.–02/अपीलार्थी क.–02 ने वादग्रस्त भूमि में 1/8 हिस्से को प्राप्त किया है उसमें किसी प्रकार की कोई कपट पूर्वक वसीयत रचित नहीं की गयी है।

10. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदकगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा अपने आवेदन पत्र के समर्थन में भूमि खसरा क.–228/8 का खसरा वर्ष 2018–19, कार्यालय कलेक्टर रीवा जिला रीवा के समक्ष प्रस्तुत नकल आवेदन टीप सहित, श्रीमती दशोदिया के नाम जारी भू–अधिकार ऋण पुस्तिका क. –629027, तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा द्वारा पारित आदेश कमांक–169/प्रवा0/तह0 हुजूर/2019 रीवा दिनांक–25.06.2019, कार्यालय लोक सूचना अधिकारी न0प0नि0 रीवा का पत्र कमांक–65/सु0अधि0/न0प0नि0/2022 रीवा दिनांक–28.02.2022, कार्यालय नगर पालिक निगम रीवा द्वारा प्रदान की गयी जानकारी दिनांक–24.02.2022, कार्यालय नगर पालिक निगम रीवा का पत्र कमांक--213/निर्माण/न0प0नि0 जोन क.–3/2021, रीवा दिनांक–04.10.2021, तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा द्वारा बंटवारा नामांतरण हेतु श्यामलाल यादव, प्रेमलाल यादव, मुन्नालाल यादव, बच्चूलाल यादव को प्रेषित सूचना पत्र दिनांक– 07.09.2021 से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत की गयी हैं।

11. अनावेदकगण/अपीलार्थीगण द्वारा आदेश 39 नियम 01 व 02 सी.पी.सी. के आवेदन के जबाव के समर्थन में विचारण न्यायालय के समक्ष खसरा वर्ष 2021–22, तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा के प्र.क. –26/अ–6/2010–11 में पारित आदेश दिनांक–30.10.2010, रास्ते के फोटोग्राफ्स, यशोदा यादव के मृत्यु प्रमाण पत्र कमांक–107876 रजिष्ट्रीकरण दिनांक–13.03.2006 की छायाप्रति, वसीयत की नकल प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक–14.06.2021, सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कार्यालय कलेक्टर रीवा से प्र.क.–26/अ–6/2010–11 के संबंध में चाही गयी जानकारी बाबत् प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक–06.05.2022, पुलिस थाना सिविल लाइन रीवा में पंजीबद्ध करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांक–498/2018 की छायाप्रतियां पेश की गयी हैं।

(संतोष कुमार तिवारी) 23.04.24
चौदहवें जिला न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

CamScanner

12. पूर्व मे विवादग्रस्त संपत्ति श्रीमती दशोदिया पत्नी रामकृपाल के नाम पर थी। इस संबंध में उभयपक्ष के मध्य कोई विरोधाभाषी स्थिति नहीं है, किंतु आदेश 39 नियम 01 व 02 सी.पी.सी. के आवेदकगण/प्रत्यर्थीगण के अनुसार दशोदिया द्वारा कोई वसीयत नहीं की गयी थी और तथाकथित वसीयत फर्जी व कूटरचित है। इसके ठीक विपरीत अनावेदक क.–02/अपीलार्थी क.–02 व अपीलार्थीगण का यही कहना रहा है कि कथित वसीयत वैध है और अपीलार्थी क.–02 को वादग्रस्त संपत्ति में 1/8 भाग विधि अनुसार प्राप्त हुआ है, किंतु आदेश में इस बात का उल्लेख किया जाना समाचीन है कि वसीयत की सत्यता का परीक्षण आदेश 39 नियम 01 व 02 सी.पी.सी. के आवेदन पत्र के निराकरण के प्रकृम पर होना संभव नहीं है, बल्कि वसीयत की प्रमाणिकता का परीक्षण उभयपक्ष की साक्ष्य के उपरांत गुण–दोष पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा–68 में वर्णित वैधानिक अपेक्षाओं की कसौटी पर ही किया जा सकता है। निःसंदेह तहसीलदार द्वारा कथित वसीयतनामा के आधार पर वादग्रस्त भूमि के संबंध में अनावेदक क.–02/अपीलार्थी क.–02 के संबंध में दिनांक–30.10.2010 को जो आदेश किया है और उसके आधार पर जो राजस्व अभिलेख में उसका नाम अंकित हुआ है उसकी वैधानिकता का परीक्षण भी उभयपक्ष की साक्ष्य के उपरांत गुण–दोष पर ही संभव है।

13. **नगर पालिका परिषद मलाजखण्ड विरूद्ध हिन्दूस्तान कॉपर लिमिटेड, 2009(1) एम.पी.एच.टी. 48** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में वादी को स्पष्ट विधिक स्वत्व स्थापित नहीं करना होता है, बल्कि उसे यह स्थापित करना होता है कि उसके पक्ष में उसके विधिक अधिकार के संबंध में एक फेयर प्रश्न है, जिसका विचारण होना है।

14. उपरोक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि व कथित वसीयत के संबंध में उसके फर्जी व कूटरचित होने बाबत् जो परिस्थिति दर्शायी है निःसंदेह वह गुणदोष पर अवधारण होने योग्य बिन्दु है। इसके अतिरिक्त विचारण न्यायालय के समक्ष उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों तथा वादग्रस्त भूमि के संबंध में वर्तमान में अनावेदक/अपीलार्थी क.–02 का नाम 1/8 भाग अर्थात 500 वर्गफिट भूमि पर अंकित हो जाने के दर्शाये गये तथ्य के कारण उसके द्वारा उपरोक्त भाग को विक्रय किये जाने की संभावना रहीं है। इसके अतिरिक्त अभिलेख पर आवेदकगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त विवादग्रस्त भाग पर निर्माण कार्य करने के लिये अनावेदक क.–02/अपीलार्थी क.–02 का

(संतोष कुमार तिवारी) 23.04.24
चौथवें जिला न्यायाधीश
रीवा (म०प्र०)

प्रयासरत होना भी प्रतीत होना परिलक्षित हो रहा है।

15. ऐसी स्थिति में विद्ववान विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण/प्रत्यर्थीगण के पक्ष में वादग्रस्त भूमि को अन्यत्र विक्रय से निषेधित किये जाने व उस पर कोई नवीन निर्माण न किये जाने के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत वादीगण/प्रत्यर्थीगण के पक्ष में होना पाया है। इस संबंध में विद्ववान विचारण न्यायालय द्वारा कोई भी तथ्यात्मक/वैधानिक त्रुटि नहीं किया जाना अभिलेख से दर्शित है।

16. अपीलार्थीगण की ओर से जीतेन्द्र सिंह विरूद्ध म.प्र. राज्य एवं अन्य स्पेशल लीव पिटीशन क्र.–13146/2021 तथा बल्वंत सिंह एवं अन्य विरूद्ध दौलत सिंह मृतक द्वारा विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य निर्णय दिनांक–07.07.1997 अवलोकनार्थ पेश किये हैं, किंतु उपरोक्त न्यायदृष्टांतों में ऐसी कोई विधि प्रतिपादित नहीं की गयी है जिससे वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला होने व मामले में गुणदोष पर अवधारण किये जाने योग्य बिन्दु होने के बावजूद भी उसके पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न की जाये। इसलिये उपरोक्त न्यायदृष्टांतों तथा अपीलार्थीगण द्वारा अपनी अपील के समर्थन में प्रस्तुत लिखित तर्क का कोई लाभ अपीलार्थीगण को प्राप्त नहीं हो रहा है।

17. उपरोक्तानुसार विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने समक्ष लंबित व्यवहार वाद क्र.–21/2022 में वादीगण/प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 सहपठित धारा–151 सी.पी.सी. के माध्यम से उनके आवेदन को स्वीकार करने बाबत् आदेश दिनांक–01.09.2022 में कोई त्रुटि नहीं की है। ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय का उपरोक्त आदेश अपास्त किए जाने योग्य न होकर स्थिर रखे जाने योग्य है।

18. अतः अपीलार्थी/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त विविध सिविल अपील **निरस्त** की जाती है एवं विद्वान तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा जिला रीवा के आदेश दिनांक **01.09.2022** की पुष्टि की जाती है।

19. आदेश की प्रति सहित विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस किया जाए।

20. उपरोक्त आदेश को सी0आई0एस0 साप्टवेयर में लोड किया जाए।

(संतोष कुमार तिवारी) 23.04.24
वरिष्ठ जिला न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

21. प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में जमा हो।

दिनांक–23.04.2024

आदेश खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित,
दिनांकित कर घोषित किया गया।

Tiwari 23.04.24

(संतोष कुमार तिवारी)
चौदहवें जिला न्यायाधीश,
रीवा,जिला–रीवा (म0प्र0)

मेरे निर्देश पर टंकित
किया गया।

Tiwari 23.04.24

(संतोष कुमार तिवारी)
चौदहवें जिला न्यायाधीश,
रीवा,जिला–रीवा (म0प्र0)

CamScanner